न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष-डॉ0 एम0के0अग्रवाल,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3251/दो/2016 विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22.08.2016 न्यायालय तहसीलदार परगना ईशागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 52/अ-6/2015-16

.....

परमा पुत्र स्व. गोविन्दी (फोत)
1- गजानंद पुत्र स्व.श्री परमा एवं
अन्य 4 समस्त निवासीगण ग्राम कैकई पुलिया,
वार्ड क्र. 1 ईशागढ़, जिला- अशोकनगर।

---------- आवेदकगण

विरूद्ध

1- जयपाल सिंह पुत्र स्व. श्री विक्रम सिंह,
2- श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री अरबिन्द पुत्री
श्री विक्रम सिंह, समस्त निवासी ग्राम कदवाया,
तहसील ईशागढ़, जिला अशोकनगर।

---------- अनावेदकगण

श्री बिनोद श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदकगण
श्री सुन्दरम श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदकगण

(आदेश दिनांक 23/4/18 को पारित)

यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार परगना ईशागढ़ जिला अशोकनगर के आदेश दिनांक 22.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 22.08.2016 में अंकित होने से यहां पुनरांकित किए जाने की आवश्यकता नहीं है,

किन्तु उनका वारीकी से परीक्षण किया जावेगा। विवादित भूमि का विवरण भी आक्षेपित आदेश दिनांक 22.08.2016 के पैरा 1 में अंकित होने से यहां दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे संज्ञान में लिया गया है।

3- प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वही तर्क दुहराए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है निगरानी मेमो में अंकित होने से उन्हें यहां पुनरांकित किया जाकर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उन पर विचार किया जाकर उनका परिशीलन किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में इस तथ्य पर विशेष बल दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिब्यू पिटीशन क्रमांक 73/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2016 से "कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम" के तहत कार्यवाही के संबंध में दिए गये निर्देशों के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 144/बी-121/15-16 विचाराधीन है। जिसके निराकण तक नामांतरण संबंधी कार्यवाही स्थगित रखने के अनुरोध के साथ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22.08.2016 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4- अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22.08.2016 को विधिवत एवं बैध ठहराते हुए स्थिर रखा जाकर निगरानी अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

5- प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में उपस्थित बाद बिन्दु के संबंध में विचाराधीन आदेश दिनांक 22.08.2016 का भी अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अपने आलोच्य आदेश के पैरा 5 में तहसीलदार द्वारा यह अंकित करते हुए कि "अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में इस न्यायालय के प्रकरण को स्थगित करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिए गये हैं ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं हैं" तथा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त किया गया है।

6- तहसीलदार द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनांक 22.08.2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2016 की मूल भावना को समझने में भूल की है जवकि तहसीलदार द्वारा अपने आक्षेपित आदेश के पैरा 3 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का विस्तृत उल्लेख किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04.2016 की मूल भावना यह रही है कि जब तक " कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम के तहत की जा रही कार्यवाही का निराकरण नहीं हो जाता तब तक विवादित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की

कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही मान. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04.2016 के अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा की जा रही प्रश्नाधीन कार्यवाही आदेश दिनांक 22.08.2016 उचित न होकर मान. उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने के समान है, अत: ऐसी अनुचित कार्यवाही को न्यायहित में मान. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में तीन माह के लिए स्थगित किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे मान. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04.2016 के परिपालन में तीन माह में कार्यवाही पूर्ण कर तदनुसार तहसीलदार को प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों के अनुसरण में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु आदेशित कर बैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करावें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण् इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस किया जावे। प्रकरण दा.दि.हो।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश,
ग्वालियर